

2022

3

Technocrats International School

धारा 2 (नियम 11(4) देखिए)

काशीनगर जिला शिक्षा अधिकारी (भोपाल), मध्यप्रदेश

मान्यता का प्रकार - नवीनीकरण मान्यता  
सत्र - 2022-23

Signature Not Verified  
Digitally signed by  
Date: 2022.04.10 12:30:11 +05:30  
Reason: Issued by deo bhopal

पत्राचार (Technocrats International School)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 08/02/2022 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरक्षण के सन्दर्भ में, मैं आपकी स्कूल - Technocrats International School डाइस कोड - 23320303436 स्कूल क्रमांक - PS 79269 को कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं तक के लिए दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2025 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी :-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/ संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोसी की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्त व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवृत्त सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (प्री स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ग) के उपबंध प्री-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कंपिटेशन फीस क संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा -
  - o (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
  - o (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - o (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि -
  - o किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा
  - o किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
  - o प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने कि आवश्यकता नहीं होगी ;
  - o नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - o अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा
  - o अधिनियम कि धारा 23(1) कि अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षको कि भर्ती कि जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम आर्हता नहीं रखते है, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष कि अवधि में निर्धारित न्यूनतम आर्हता प्राप्त करनी होगी
  - o शिक्षकों को अधिनियम कि धारा 24(1) के अधीन विनियमित कर्तव्यों का पालन करना होगा
  - o प्रायवट टीचिंग कि गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा
- अधिनियम कि धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा
- स्कूल द्वारा अधिनियम कि धारा 19 में विनियमित स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई :-

Head Mistress  
Technocrats

| कोड             | क सत्र | प्रकार | विकास | ग्राम / वार्ड   | पिन कोड     | पुलिस थाना | रेखांश           | अक्षांश                        |
|-----------------|--------|--------|-------|-----------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| 233203<br>03436 | 17     | मोपाल  | शहरी  | PHANDA<br>URBAN | Ward No. 62 | 462021     | थाना<br>पि पलानी | 23.25 77.497<br>9994 5465<br>6 |

### स्कूल की सामान्य जानकारी

स्कूल प्रारंभ होने की तिथि 01/03/2018

1. स्कूल किसी सोसाइटी/न्यास/संगठन द्वारा संचालित है? हाँ

सोसाइटी/न्यास/संगठन का नाम Pawantanay Shiksha Samiti

सोसाइटी/न्यास/संगठन का पंजीयन क्रमांक 01/01/01/17090/06

स्वामी का नाम

स्कूल के प्रबंधक/ अध्यक्ष/ सभापति का नाम Ms. Sadhana Karsoliya

पदनाम Chairperson

मोबाइल 9424442275

ई-मेल titgroup2000@gmail.com

कार्यालय का पता E-1/127 Arera Colony Bhopal

कार्यालय का दूरभाष 7552751679

### स्कूल की प्रकृति

शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी

मान्यता हेतु स्कूल का प्रकार महशिता

क्या स्कूल आवासीय है? नहीं

क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों हेतु संचालित है? नहीं

क्या स्कूल को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है? नहीं

प्रवेश की प्रारंभिक कक्षा प्री प्राइमरी-नर्सरी

प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 3

स्कूल की अंतिम कक्षा आठवीं

क्या स्कूल को शासन / स्थानीय प्राधिकारी अनुदान प्राप्त है? नहीं

क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है? हाँ

प्राधिकारी का नाम 3221121816

मान्यता क्रमांक 79269

डाइस कोड(DISE)

क्या स्कूल राज्य सरकार/ केंद्र सरकार / स्थानीय प्राधिकारी से नहीं

निःशुल्क अथवा रियायती दर पर किसी भूमि, भवन, उपकरण

अथवा अन्य सुविधाएं प्राप्त होने के कारण निश्चित संख्या में बच्चों

को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु बाध्य है?

| विवरण                           | आवेदन में दर्ज |
|---------------------------------|----------------|
| निम्न क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)  | 39523          |
| कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)    | 42037          |
| भवन की स्थिति                   | स्वयं का भवन   |
| दान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) | 48335          |

#### अधोसंरचना का विवरण

| विवरण  | संख्या | ओसत आकार(वर्ग फीट में) |
|--|--------|------------------------|
| कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष          | 24     | 710                    |
| कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष | 4      | 500                    |
| भोजनालय-सह-भण्डार                                  | 0      | 0                      |

#### पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का विवरण

| विवरण   | बोर्ड  |
|---|--------|
| प्रत्येक वर्ग में पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम का विवरण (आठवीं तक)             | MP BSE |
| छात्र मूल्यांकन की प्रणाली  | MP BSE |
| कक्षा आठवीं तक विद्यार्थी किसी बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं? (हां/नहीं ) | नहीं   |

#### स्कूल में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण

| विवरण  | आवेदन में दर्ज        | फोटो |
|--|-----------------------|------|
| क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है          | हाँ                   |      |
| पठन पाठन सामग्री की हस्ताक्षरित सूची             | हाँ                   |      |
| खेलकूद एवं खेल उपकरण की हस्ताक्षरित सूची         | हाँ                   |      |
| पुस्तकों की संख्या                               | 800                   |      |
| समाचार पत्र                                      | 10                    |      |
| पेयजल सुविधा का प्रकार                           | Tube Well             |      |
| पेयजल सुविधा की संख्या                           | 4                     |      |
| शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)           | Both Indian & Western |      |
| बच्चों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या            | 5                     |      |
| बच्चियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या          | 5                     |      |
| बेकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या | 1                     |      |
| या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है               | हाँ                   |      |

#### नामांकन एवं शुल्क का विवरण

| कक्षा | कुल सीट | कुल नामांकित छात्र | स्कूल द्वारा आरक्षित सीटें | वार्षिक शुल्क |
|-------|---------|--------------------|----------------------------|---------------|
|-------|---------|--------------------|----------------------------|---------------|



विवरण

या जाता है कि स्कूल ने राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संधारित वेबसाइट पर उपरोक्त वर्णित  
की दर्ज करा दी है।

किया जाता है कि समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिकारी के निरीक्षण के  
द्वारा खुला रहेगा।

तब किया जाता है कि स्कूल ऐसी रिपोर्ट एवं जानकारी, जो कि अपेक्षित की जाए, जिला शिक्षा  
कार्य को समय समय पर दिए जाने और स्कूल की मान्यता की शर्तों की पूर्ति की निरंतरता बनाए  
रखे या स्कूल के कार्य में आने वाली कमियों को दूर करने के लिए समुचित प्राधिकारी या जिला शिक्षा  
अधिकारी द्वारा जारी ऐसे अनुदेशों के पालन का वचन देता है।

प्रमाणित किया जाता है कि स्कूल द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख जिला शिक्षा  
अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या समुचित अधिकारी को निरीक्षण के लिए किसी भी समय  
दिए जाएंगे तथा स्कूल, यथास्थिति, संसद या राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेही या कर्तव्य के  
निर्वहन के लिए केंद्र और/या राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी या प्रशासन को समस्त ऐसी जानकारियां,  
जो कि आवश्यक हों, प्रस्तुत करेगा।

मान्यता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम मान्यता की शर्तों का पालन करेगा।

## मान्यता संबंधी दर तावेज

विवरण

अपलोड है (हाँ / नहीं)

## स्कूल द्वारा संचालित पुस्तकों की जानकारी

| कक्षा | विषय | पुस्तक | लेखक | आईएसबीएन नं. | अधिकतम खुदरा मूल्य |
|-------|------|--------|------|--------------|--------------------|
|-------|------|--------|------|--------------|--------------------|

## अध्यापन कर्मचारियों का विवरण

| शिक्षक का नाम | पिता / पति का नाम | जन्मतिथि | शैक्षणिक अर्हता विषय सहित | व्यावसायिक अर्हता | अध्यापन अनुभव(महीनों में) | नियुक्ति दिनांक | कक्षा जिसमें पढ़ाते हैं |
|---------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
|---------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|

## अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के प्रयोजन के लिए पड़ोस की सीमा

ग्राम / वार्ड

पड़ोस का प्रकार

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड अकाउंट द्वारा स्तयपित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरण कि एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नंबर 79269 एवं डाइसकोड (DISE) 23320303436 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नंबर संदर्भित किए जाएँ
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत कि जाएगी, जो राज्य शिक्षा केंद्र/ जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित कि जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनु अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन कि कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता कि शर्तों कि निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाए।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपाबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने तथा सिद्ध हों जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

*Shraddha*  
Head Mistress  
Technocrats International School